रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 513] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 602(अ).—जीव-जंतु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके दिनांक 01.03.2014 से तीन वर्षों की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन करती है, नामश: :—

1.	वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5 (1) (क) के अधीन
2.	पशु पालन आयुक्त , कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5 (1) (ख) के अधीन
3.	श्री वि.वुमलुनमांग, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (खक) के अधीन
4.	श्री सहदेव सिंह, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (खक) के अधीन
5.	श्री एस.के.खंडूरी, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5 (1) (खख) के अधीन
6.	सुश्री सौम्या रेड्डी, 455/7, 15वां मेन लक्कासंद्र, बंगलौर-30, कर्नाटक	सदस्य धारा 5 (1) (खग) के अधीन
7.	श्री ए.जे.आनंदन, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) बंगलौर, कर्नाटक	सदस्य धारा 5 (1) (खग) के अधीन
8.	श्री जय राज, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड	सदस्य धारा 5 (1) (खग) के अधीन
9.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ.आर.एम.खरब, ए वी एस एम, 3767, सेक्टर- 23, गुडगांव, हरियाणा	सदस्य धारा 5 (1) (ग) के अधीन
10.	डॉ.(श्रीमती) वसन्थम्मा, 782, सेक्टर-17, गुडगांव, हरियाणा	सदस्य धारा 5 (1) (घ) के अधीन
11.	डॉ. संदीप के.जैन, बीxxiv-2696/1ए,सुंदरनगर, लुधियाना-7, पंजाब	सदस्य धारा 5 (1) (घ) के अधीन
12.	नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (ङ) के अधीन
13.	नगर निगम गुडगांव, हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (ङ) के अधीन
14.	श्री एन जयसिम्हा, सीईओ, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल, 50/ए, लेन#3, इंडियन एयरलाइंस कालोनी, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य धारा 5 (1) (च) के अधीन
15.	श्रीमती नोर्मा अल्वारेस, पीपुल्स फॉर एनिमल्स, गोवा की प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (च) के अधीन

16.	डॉ. एस.चिन्नी कृष्णा, 1, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चैन्नै, तमिलनाडु	सदस्य धारा 5 (1) (च) के अधीन
17.	श्रीमती अंजलि शर्मा, एस पी सी ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (छ) के अधीन
18.	श्री दौलत जैन, एस पी सी ए, चैन्नै, तमिलनाडु के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (छ) के अधीन
19.	श्री अनिल संचेटी, एस पी सी ए, मन्दसौर, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5 (1) (छ) के अधीन
20.	श्री सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव, (पशु कल्याण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली,	सदस्य धारा 5 (1) (ज) के अधीन
21.	श्री विनोद बंम, 47, कवि कालीदास पथ भटनागर, जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य धारा 5 (1) (ज) के अधीन
22.	श्री शिवय्या स्वामी काम्थाना, स्वामी निवास, म.सं.1-51, पहला ब्लाक, काम्थाना, तालुका एवं जिला बिदर, कर्नाटक	सदस्य धारा 5 (1) (ज) के अधीन

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार मेजर जनरल (सेवानिवृत) डा.आर.एम.खरब, एवीएमएस और डॉ. एस. चिन्नी कृष्णा भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाते हैं ।

[फा.सं.11/8/2013-ए डब्ल्यू डी]

एम. गीतांजलि, उप सचिव (पशु कल्याण)

टिप्पणी : भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी पहले की अधिसूचनाएं सं.का.आ.2005(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2007, का.आ. 2981(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2008, का.आ. 3077(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2009 तथा का.आ. 2882(अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 602(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its Members for a period of three years w.e.f. 01.03.2014, namely :—

1.	Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(a)
2.	The Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(b)
3.	Shri V. Vumlunmang, IAS, Joint Secretary - Representative of the Ministry of Home Affairs, New Delhi	Member under Section 5(1)(ba)
4.	Shri Sahdev Singh, Under Secretary Representative of the Ministry of Human Resources Development, New Delhi	Member under Section 5(1)(ba)
5.	Shri S. K. Khanduri, Inspector General of Forest (Wildlife), Ministry of Environment & Forests, New Delhi	Member under Section 5(1)(bb)
6.	Ms. Sowmya Reddy, 455/7, 15th Main Lakkasandra, Bangalore-30, Karnataka	Member under Section 5(1)(bc)
7.	Shri A. J. Anandan, IPS (Retd.) No. 10 Leonard Lane, Richmond Town, Bangalore, Karnataka	Member under Section 5(1)(bc)
8.	Shri Jai Raj, IFS, Chief Conservator of Forests, 3/IV, Indra Nagar, Forest Colony, Indra Nagar, Dehradun, Uttarakhand	Member under Section 5(1)(bc)

IndiaCode

9.	Maj. Gen. (Retd.) Dr. R.M. Kharb, AVSM, 3767, Sector-23, Gurgaon, Haryana-122017	Member under Section 5(1)(c)
10.	Dr. (Mrs.) Vasanthamma, 782, Sector-17, Gurgaon, Haryana	Member under Section 5(1)(d)
11.	Dr. Sandeep K. Jain, BXXIV-2696/IA, Sundernagar, Ludhiana -7, Punjab	Member under Section 5(1)(d)
12.	Representative of Municipal Corporation of Shimla, Himachal Pradesh	Member under Section 5(1)(e)
13.	Representative of Municipal Corporation of Gurgaon, Haryana	Member under Section 5(1)(e)
14.	Shri N. Jayasimha, CEO, Human Society International, 50/A, Lane # 3, Indian Airlines Colony, Secunderabad, Andhra Pradesh	Member under Section 5(1)(f)
15.	Smt. Norma Alvares, Representative of Peoples for Animals, Goa	Member under Section 5(1)(f)
16.	Dr. S. Chinny Krishna, 1, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu	Member under Section 5(1)(f)
17.	Mrs. Anjali Sharma, Representative of SPCA, H. No. 375, Sector-15A, NOIDA, U.P.	Member under Section 5(1)(g)
18.	Shri Doulat Jain, Representative of SPCA, 55/2-A, Narayana Mudali Street, Chennai, Tamil Nadu	Member under Section 5(1)(g)
19.	Shri Anil Sancheti, Representative of SPCA, Sancheti Bhawan, Kila Road, Mandsaur, Madhya Pradesh	Member under Section 5(1)(g)
20.	Shri Surjit Singh, Joint Secretary, (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests, New Delhi	Member under Section 5(1)(h)
21.	Shri Vinod Bum, 47, Kavi Kalidas Path Bhatnagar, Dist-Ujjain, Madhya Pradesh	Member under Section 5(1)(h)
22.	Shri Shivayya Swamy Kamthana, Swamy Nivas, H.No. 1-51, 1st Block, Kamthana, Tq. & Dist. Bidar, Karnataka	Member under Section 5(1)(h)

In terms of sub-section (3) of Section 5 of the aforesaid Act, Maj. General (Retd.) Dr. R. M. Kharb, AVSM is nominated as the Chairman and Dr. S. Chinny Krishna the Vice Chairman of the Animal Welfare Board of India.

[F. No. 11/8/2013-AWD]

M. GEETHANJALI, Dy. Secy. (AW)

Note :—The earlier notifications regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 2005(E), dated 29.11.2007, S.O. 2981(E), dt. 29.12.2008, S.O. 3077(E), dt. 30.11.2009 and S.O. 2882(E), dt. 1.12.2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.